न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 01 / 2024
अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. इन्द्रसिह पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. जयनारायण पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. दयानन्द पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. कमला देवी पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. कालूराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. प्रदीप कुमार पुत्र राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. मंजु पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. विनोद कुमार पुत्र राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. शान्ति देवी पत्नी राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. सुलोचना पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. हरिकृष्ण पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. सावत्री पत्नी रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
15. सोहनलाल पुत्र रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
16. अनिल पुत्र रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
17. सुलोचना पुत्री रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
18. सुन्दर पुत्री रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल गैरसायल

20. चमेली पत्नी महेन्द्र जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
21. देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
22. प्रेमाराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
23. मदनलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
24. सन्तलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
25. सुमन पत्नी महेन्द्र जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
26. सुरेश पुत्र महेन्द्र जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
27. सोनादेवी पत्नी ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री सुनिल कटारिया, अभिभाषक, सायलान
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1

निर्णय दिनांक : -/12/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] [illegible]दन किया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 307 / 273 की [illegible] [illegible]20हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 20 ता 27 की मुश्तर[illegible] [illegible] है।

रोही मोजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169 / 42 की [illegible] 1.0120हैक्ट भूमि असल गैरसायल संख्या 1 ता 4 की मुश्तरका खाते में खातेदारी दर्ज है व रोही मोजा चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:21:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5 ए बारानी के खाता संख्या 62/58 की कुल 1.0120हैक भूमि असल गैरसायल संख्या 5 ता 18 की मुश्तरका खाते की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रामकुमार पुत्र गोविन्दराम का देहान्त हो गया है इसलिये इनके जायज वारिसान गैरसायल संख्या 14 ता 18 है जिन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है सायल व तरतीबी गैरसायलान के खेत रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 307/273 में जाने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है।

सायल एवं तरतीबी गेरसायलान की भूमि गैरसायलान के चिपते हुए है सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होकर गैरसायल संख्या 1 ता 4 के खेत रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/42 के प0न0 348/380(6) के किला न0 10/2 मिन पश्चिम की 0.012हैक मे से होकर गैरसायल संख्या 5 ता 18 के खेत रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 307/273 के प0न0 348/380 (6) के किला न0 11 के मिन पश्चिम की 0.013हैक में से होते हुए अपने खेत प0न0 348/380(6) के किला न0 20 के मिन उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.001है किला न0 20 में प्रवेश करते है यही रास्ता सुविधाजनक एव नजदीकी है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है उक्त रास्ता मौका पर चालू है

उक्त रास्ता के बदले में सायल व तरतीबी गैरसायल अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 307/273 में से भूमि देने को तेयार है।

सायल व तरतीबी गैरसायल ने असल गेरसायल संख्या 1 ता 18 को उक्त चालू रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया तो इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/42 के प0न0 348/380(6) के किला न0 10/2 मिन पश्चिम की 0.012हैक एवं गेरसायल संख्या 5 ता 18 के खेत रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 62/58 के प0न0 348/380(6) के किला न0 11 के मिन पश्चिम की 0.013हैक भूमि एवं सायल एव तरतीबी गैरसायल के खाता संख्या 307/273 के प0न0 348/380(6) के कला न0 20 मिन उत्तरी पश्चिमी कोना की 0. 001हैक भूमि रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 6 ,7, 9,12 ,14, 17,18 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई गैरसायल संख्या 1 ता 5 ,8 ,10 ,11 ,13 ,15 ,16 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व कृष्ण कुमार , दलीप , पुत्र रामरख ने रोही मोजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/55 के प0न0 348/380(6) के किला न0 1/2 के मिन पश्चिम में 0.0130हैक भूमि उत्तर से दक्षिण एव गैरसायल संख्या 1 ता 4 के किला न0 10 के मिन उत्तर पश्चिम कोना में 0.001हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु माननीय न्यायायल में प्रार्थना पत्र 251क प्रकरण संख्या 11/2021 पेश किया था तथा जिसे न्यायालय ने दिनांक 11.07.2022 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया था प0न0 348/380(6) के किला न0 1/2 के मिन पश्चिम में 0.0130हैक एव किला न0 10 मिन के उत्तर पश्चिम कोना में 0.001हैक में रास्ता स्वीकृत किया गया है।

गैरसायल उतरदाता की मु0न0 5 [illegible] परिवार की 20 बीधा भूमि निा रास्ते के पडती है और वो सभी काश्त[illegible] मु0न0 5 के किला न0 6 ,15 के पूर्वी दिशा में उत्तर से [illegible]मति से आना जाना करते है तथा यही रास्ता उक्त काश्तकारों के लिये सुगम है यही [illegible]स्ता सबसे नजदीकी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:21:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल जिस जगह से रास्ते की मांग कर रहे है वहॉ पर ढाणी मकानात बने हुए है उसके दक्षिण वाले मु0न0 6 के किला न0 11 के पश्चिम में उतर से दक्षिण की और खाता बना हुआ है एवं सायल जिस रास्ता की मांग की है वह गैर वाजिब रास्ता की मांग रखी है सायल ने झूठे कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है

सायल प0न0 347/380(5) के किला न0 6 ,15, 16 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण में 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि सभी काश्तकारो को रास्ता में आने जाने में सुगमता हो सके सायल का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया गया तरतीबी गैरसायल की तलबी की आवश्यकता नही तरतीबी गैरसायलान का अनुतोष सायल के अनुतोष में निहित है मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायल को अपनी भूमि तक पहुचने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है सायल वर्तमान में गैरसायल संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/42 के प0न0 348/380(6) के किला न0 10/2 मिन पश्चिम की 0.012हैक्‍ एवं गेरसायल संख्या 5 ता 18 के खेत रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 62/58 के प0न0 348/380(6) के किला न0 11 के मिन पश्चिम की 0.013हैक्‍ भूमि एवं सायल एव तरतीबी गैरसायल के खाता संख्या 307/273 के प0न0 348/380(6) के कला न0 20 मिन उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.001हैक्‍ भूमि में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में पहुचतें है यही रास्ता सबसे नजदीकी है एवं सुविधाजनक है तथा वर्तमान में चालू है गैरसायलान ने सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा गया था वहा पर अब मकान का निर्माण कर दिया है ताकि सायल का रास्ता नही दिया जा सके सायल को उक्त मकान के साईउ से होकर रास्ता स्वीकृत फरमावे सायल का उसकी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये रास्ता स्वीकृत फरमावें सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1 ता 5 ,8,10,11,13,15,16 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की पूर्व में एक वाद इसी न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें न्यायालय ने दिनांक 11.07.2022 को निर्णय पारित किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया गया था गैरसायल उतरदाता की मु0न0 5 ,6 में परे परिवार की 20 बीधा भूमि नि‍ा रास्ते के पडती है और वो सभी काश्तकार वर्तमान में कृष्णउ आदि के मु0न0 5 के किला न0 6 ,15 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण में आपसी सहमति से आना जाना करते है तथा यही रास्ता उक्त काश्तकारों के लिये सुगम है यही रास्ता सबसे नजदीकी है

सायल जिस जगह से रास्ते की मांग कर रहे है वहॉ पर ढाणी मकानात बने हुए है उसके दक्षिण वाले मु0न0 6 के किला न0 11 के पश्चिम में उतर से दक्षिण की और खाता बना हुआ है एवं सायल जिस रास्ता की मांग की है वह गैर वाजिब रास्ता की मांग रखी है सायल ने झूठे कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है

सायल प0न0 347/380(5) के किला न0 6 ,15, 16 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण में 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि सभी काश्तकारो को रास्ता में आने जाने में सुगमता हो सके सायल का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी [illegible] में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपल[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:21:55 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा चक 5 ए [illegible] संख्या 307/273 की कुल 1.0120हैक्‍ भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 20 ता 2[illegible] की मुश्तरका खाता में खातेदारी भूमि दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मु0न0 6 के किला न0 10/2 के मिन पश्चिम व किला न0 11 के मिन पश्चिम में व सायल स्वय के किला न0 20 मिन उत्तरी पश्चिमी कोना पर रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा है ताकि स्वय सायल के साथ साथ अन्य काश्तकारों को भी अपनी भूमि में जाने के लिये रास्ता प्राप्त हो सके उल्लेखनिय है कि मु0न0 6 के किला न0 1 तक रास्ता स्वीकृत है आगे के किलों में रास्ता स्वीकृत किया जाना था जिस पर गैरसायल ने मु0न0 6 के किला न0 10 में एक मकान नुमा ढाचा बना दिया गया है जो न्यायोचित नही है प्रस्तुत मौका रिपोर्ट नजरीय नक्शा के अनुसार सायल व अन्य चक 5 ए बारानी मु0न0 6 के आगे के काश्तकारो को उक्त रास्तें के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है यही रास्ता प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपयुक्त एव सुविधाजनक प्रतीत होता है तथा यहॉ यह भी उल्लखनिय है कि किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि तक पहुचने का रास्ता दिया जाना न्यायोचित है सायल को स्वीकृत रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि तक जाने के लिये कोई रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में गैरसायलान की भूमि में से रास्ता दिये जाने पर ही पहुच सकता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है सायल एवं चक के काश्तकारों को उनकी भूमि तक पहुच का रास्ता दिया जाना उचित है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/42 के प0न0 348/380 के मु0न0 6 के किला न0 10/2 के मिन पश्चिम की 0.012हैक एवं गैरसायल संख्या 5 ता 18 की भूमि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 62/58 के प0न0 348/380(6) के किला न0 11 के मिन पश्चिम की 0.013हैक भूमि एवं सायल एव तरतीबी गैरसायलान के खाता संख्या 307/273 के प0न0 348/390(6) के किला न0 20 के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.001 हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है सायल व तरतीबी गैरसायलान रास्ता मु0न0 (6) के किला न0 10/2 ,11 में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि असल गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:21:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / प्रकरण(01 / 24)2024 / 1135 दिनांक 12.11.24

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 01 सन 2024 निर्णय दिनांक–12/11/2024

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1 इन्द्रसिह पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. जयनारायण पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. दयानन्द पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. कमला देवी पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. कालूराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. प्रदीप कुमार पुत्र राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. मंजु पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. विनोद कुमार पुत्र राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. शान्ति देवी पत्नी राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. सुलोचना पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. हरिकृष्ण पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. सावत्री पत्नी रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
15. सोहनलाल पुत्र रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
16. अनिल पुत्र रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
17. सुलोचना पुत्री रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
18. सुन्दर पुत्री रामकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल गैरसायल

20. चमेली पत्नी महेन्द्र जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
21. देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
22. प्रेमाराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
23. मदनलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
24. सन्तलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
25. सुमन पत्नी महेन्द्र जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
26. सुरेश पुत्र महेन्द्र जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
27. सोनादेवी पत्नी ख्यालीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169 / 42 के प0न0 348 / 380 के मु0न0 6 के किला न0 10 / 2 के मिन पश्चिम की 0.012हैक एवं गैरसायल संख्या 5 ता 18 की भूमि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 62 / 58 के प0न0 348 / 380(6) के किला न0 11 के मिन पश्चिम की 0.013हैक भूमि एवं सायल एव तरतीबी गैरसायलान के खाता संख्या 307 / 273 के प0न0 348 / 390(6) के किला न0 20 के मिन उतरी पश्चिमी कोना की 0.001 हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है सायल व तरतीबी गैरसायलान रास्ता मु0न0 (6) के किला न0 10 / 2 ,11 में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि असल गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश पारित किये जाते है तदानुसार कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:21:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर